

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा (उत्तराखण्ड)
देहरादून।

सचिव,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तराखण्ड शासन।

प्रमाणिक संख्या/15453 /शुल्क/2020-21 दिनांक 27 अक्टूबर, 2020
विषय राज्य के शासकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा-9 से 12 तक के विद्यार्थियों से शुल्क दिये जाने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक जनपदों द्वारा अवगत कराया गया है कि वैश्विक महामारी कोरोना क दृष्टिकोण दिनांक 22 मार्च 2020 से विद्यालय बंद रहे हैं। कक्षा 10 एवं कक्षा 12 के छात्र-छात्राओं हेतु दिनांक 02 नवम्बर 2020 से विद्यालय खुले जा रहे हैं। जनपदों द्वारा विद्यालय खुलने के उपरान्त शुल्क कब से तथा किस-किस मदों में लिये जाने के सम्बन्ध में पूछा की जा रही है।

शासनादेश सं-380/XXIV-3/2005 दिनांक 21 नवम्बर, 2005 एवं शासनादेश सं-909/XXIV-3/13/02 (58)2013 दिनांक 30 जून 2013 तथा शासनादेश सं- 21/xxiv-5/2016/ 2(103)/2005 दिनांक 29 मार्च 2016 राज्य के शासकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा-9 से 12 तक के विद्यार्थियों से वर्तमान में लिए जा रहे विभिन्न शुल्कों की दर का विवरण निम्नवत है -

क्र. सं.	शुल्क का नाम	कक्षा 11-12	कक्षा 09-10	अवधि	उपलब्ध शासनादेश
		वर्तमान दर	वर्तमान दर		
राजकीय शुल्क -					
(घनराशि ₹0 में)					
1	शिक्षण शुल्क - कक्षा एवं पाठ्यक्रम विज्ञान	25.00 30.00	20.00 20.00	मासिक	शासनादेश सं-909/XXIV-3/13/02 (58)2013 दिनांक 30 जून 2013
2	पढ़ाई शुल्क	1.00	1.00	मासिक	मूल शासनादेश सं- 380/XXIV-3/2005 दिनांक 21 नवम्बर, 2005
3	विकास शुल्क	8.00	5.00	मासिक	
4	छात्र परिचया शुल्क (टैगशीट निर्गत करने हेतु)	1.00	1.00	वार्षिक	
छात्रनिधि शुल्क-					
5	विज्ञान शुल्क	5.00	2.00	मासिक	शासनादेश सं- 21/xxiv-5/ 2016/2 (103)/2005 दिनांक 29 मार्च, 2016
6	पेनाल्टी	1.00	1.00	मासिक	शासनादेश सं- 380/XXIV-3/2005 दिनांक 21 नवम्बर, 2005
7	कीड़ा	3.00	3.00	मासिक	शासनादेश सं- 21/xxiv-5/ 2016/2 (103)/2005 दिनांक 29 मार्च, 2016
8	बुकस्टॉक गाइड	2.00	2.00	मासिक	मूल शासनादेश सं- 380/XXIV-3/ 2005 दिनांक 21 नवम्बर, 2005
9	विद्युत	2.00	2.00	छमाही	
10	गृह परीक्षा	15.00	12.00	छमाही	शासनादेश सं- 21/xxiv-5/2016/2 (103)/2005 दिनांक 29 मार्च 2016
11	निर्धन निधि	3.00	3.00	छमाही	मूल शासनादेश सं- 380/XXIV-3/2005 दिनांक 21 नवम्बर 2005
12	जलयान	3.00	3.00	छमाही	शासनादेश सं- 21/xxiv-5/2016/ 2(103)/2005 दिनांक 29 मार्च, 2016
13	अन्य दृश्य	2.00	2.00	छमाही	मूल शासनादेश सं- 380/XXIV-3/ 2005 दिनांक 21 नवम्बर 2005

वर्ष 2025-26 में छात्र/छात्राओं से लिये जाने वाले शुल्क का विवरण

क्र० सं०	शुल्क का नाम	कक्षा 11-12	कक्षा 9-10	कक्षा 8-8	दर
1	शिक्षण शुल्क-कलावर्ग	25.00	20.00 ✓	0.00	मासिक ✓
2	शिक्षण शुल्क-विज्ञान वर्ग	30.00	20.00 ✓	0.00	मासिक ✓
3	मंहगाई शुल्क	1.00	1.00 ✓	0.00	मासिक ✓
4	विकास शुल्क	8.00	5.00 ✓	0.00	मासिक ✓
5	विज्ञान शुल्क	5.00	2.00 ✓	0.00	मासिक ✓
6	रेडक्रास	1.00	1.00 ✓	0.00	मासिक ✓
7	ब्रीडा	3.00	3.00 ✓	0.00	मासिक ✓
8	स्काउट गाइड	2.00	2.00 ✓	0.00	मासिक ✓
9	प्रगति पत्र	2.00	2.00 ✓	0.00	वार्षिक ✓
10	वाचनालय	10.00	10.00 ✓	0.00	वार्षिक ✓
11	गृह परीक्षा	15.00	12.00 ✓	0.00	छमाही ✓
12	निर्धन छात्र निधि	3.00	3.00 ✓	0.00	छमाही ✓
13	जलपान	3.00	3.00 ✓	0.00	छमाही ✓
14	श्रव्य दृश्य	2.00	2.00 ✓	0.00	छमाही ✓
15	विद्युत	2.00	2.00 ✓	0.00	छमाही ✓
16	पत्रिका	2.00	2.00 ✓	0.00	वार्षिक ✓
17	जलकर	6.00	6.00	0.00	छमाही
18	कम्प्यूटर	10.00	10.00	0.00	मासिक
19	भूगोल	4.00	0.00	0.00	मासिक
1	शिक्षण शुल्क (एस०टी० / एस०सी०)	50 प्रतिशत निर्धारित शुल्क का	छात्राओं के लिये शून्य		
2	मंहगाई शुल्क (एस०टी० / एस०सी०)	शून्य			
3	विकास शुल्क(एस०टी० / एस०सी०)	शून्य			

W